कार्यालय

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)

(जिला आपूर्ति शाखा)

निविदा सूचना

सरकार के सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–प्र0–04–खा0 (बैठक–अनु0प्र0 प्रति)–07–2009 पार्ट–2/1675/राँची, दिनांक 18.04.2017 के द्वारा प्राप्त दिनांक 11.04.2017 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के कंडिका–5 में दिये गये निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए दुमका जिला मुख्यालय एवं प्रखण्डों में चल रहे मुख्यमंत्री दाल भात केन्द्रों को चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी की आपूर्ति की जानी है। जिला मुख्यालय के अवस्थित प्रति केन्द्रों में प्रतिदिन 400 व्यक्तियों के लिए एवं अधिसूचित क्षेत्र बासुकीनाथ के लिए 300 व्यक्तियों तथा प्रखण्डों के लिए प्रतिदिन प्रति केन्द्र 200 व्यक्तियों के भोजन तैयार किया जाता है। प्रत्येक केन्द्र के लिए सप्ताह के चार दिन दाल भात के साथ चना एवं तीन दिन सोयाबीन बड़ी दिया जाता है। इसके लिए शहरी क्षेत्र के प्रति केन्द्र को प्रतिदिन 5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी, नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले प्रति केन्द्र को 3.50 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी तथा प्रखण्ड क्षेत्र के प्रति केन्द्र को प्रतिदिन 2.50 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी दिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त सामग्री का क्रय कृषि बाजार समिति के दर पर किया जायेगा। उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदादाता बाजार समिति अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी से मुहरबंद लिफाफे में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता निविदा का आवेदन प्रपत्र जिला आपूर्ति कार्यालय, दुमका से प्राप्त कर सकते है। इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा दिनांक **28.06.2017** के अपराह्न 12:30 बजे तक जिला आपूर्ति कार्यालय, दुमका में जमा कर सकते है, अपराह्न 12:30 बजे के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त निविदा दिनांक **28.06.2017** के अपराह्न 02:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता यदि अनुपस्थित रहते है तो उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। **सभी निविदादाता तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग सील्ड लिफाफे में जमा करेंगे। लिफाफा पर स्पष्ट एवं बड़े शब्दों में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अंकित रहना चाहिए तथा दोनों बीड के लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में बंद करके उसके ऊपर बड़े अक्षरों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए निविदा आमंत्रण लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा की शर्तें www.dumka.nic.in पर देखी जा सकती है।**

निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता को आयकर/बिक्रीकर/पेशाकर का क्लियरेंस संबंधी प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित कर समर्पित करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ राशि 50,000.00 (पचास हजार) रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में उपायुक्त, दुमका के पदनाम से जो दुमका में भुगतेय होगी उसे संलग्न करना आवश्यक है।

निविदा समाप्ति के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं का अग्रधन राशि वापस कर दिया जायेगा।

3. निविदादाता यदि पूर्व में कार्य किये है तो अपने आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
4. प्रतिमाह लगभग चावल 234 क्विंटल, चना 8.73 क्विंटल एवं सोयाबीन बड़ी 6.79 क्विंटल की आवश्यकता होगी, अतः भंडार पर्याप्त मात्रा में रहे।
5. चयनित निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपरोक्त सामग्री आपूर्ति करना होगा।
6. निविदादाता सामग्री की आपूर्ति हेतु Item Wise अलग–अलग दर देंगे। निविदादाता का चयन Item Wise अलग–अलग भी किया जा सकता है।
7. निविदादाता को अपने आवेदन के साथ अपना पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को निविदा खोलने के दिन चावल/चना/सोयाबीन बड़ी का नमूना भी लाना अनिवार्य होगा।
9. दाल भात केन्द्र की संख्या में आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है एवं किसी भी प्रकार का निर्णय लेने एवं निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. तकनीकी निविदा के साथ सभी प्रकार के वांछित कागजात एवं अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट समर्पित करना होगा एवं वित्तीय निविदा के साथ चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी की दर समर्पित करना होगा।
11. निविदादाता को बाजार समिति द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता जनवितरण प्रणाली बिक्रेता/किरासन तेल थोक बिक्रेता/किरासन तेल ठेला भेण्डर आदि का अनुज्ञप्तिधारी नहीं होंगे।
13. चयनित निविदादाता को पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ करना होगा, अन्यथा चयनित पत्र रद्द समझा जायेगा एवं प्रतिभूति की राशि को जब्त कर ली जायेगी। यदि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्र संचालन संबंधी किसी प्रकार की आदेश प्राप्त होती है तो इसका अंतिम निर्णय लेते हुए एकरारनामा रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
14. इच्छुक निविदादाता निविदा हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 27.06.2017 तक कार्यालय अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, दुमका** से प्राप्त करेंगे।
15. निविदादाता को दुमका जिला अन्तर्गत मुख्यालय एवं सभी प्रखण्डों में चल रहे सभी केन्द्रों में सामग्री को केन्द्र तक पहुंचाकर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा, इसके लिए अलग से कोई भाड़ा का दावा मान्य नहीं होगा।
16. निविदादाता को शपथ पत्र द्वारा स्वच्छ छवि का प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना होगा। वैसे निविदादाता को जिन्हें किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हो या जिसे किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी अपराधिक मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो आपूर्तिकर्ता के रूप में चयन नहीं किया जायेगा।

ह0/–

उपायुक्त
दुमका।

ज्ञापांक..........750../जि0आ0, दुमका दिनांक ..15.6.17..

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम दुमका/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुमका जिला को सूचनार्थ एवं संबंधित निविदा सूचना की प्रति कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

13/6/17

उपायुक्त

दुमका।